न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 97/2016

रामप्यारी पुत्री सदूराम पत्नी गुगनराम जाति नायक निवासी 38 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र सदूराम जाति नापयक निवासी गांव कोनी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। । —रेस्पोडन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 25.05.2016
उपस्थितः—

श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पो.सं.1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 22.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो. ने एक वाद अधी. न्यायालय में पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 3 एफ बड़ा के मु.न. 39 के कि.न. 1 से 25 की 6.325 है. भूमि प्रार्थी को आवंटन हुई थी, प्रार्थी के पिता ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दी एवं पिता के देहान्त के पश्चात प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी ने गलत रूपसे इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। अप्रार्थी उक्त इन्तकाल के आधार पर प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं भूमि को मुन्तकिल करने की फिराक में है । यदि ऐसा करने में वह सफल हो गई तो प्रार्थी

22/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीया के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थीया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करे एवं विवादित भूमि का मुन्तकिल नहीं करे ।

अप्रार्थीया ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 25.05.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि सदूराम को आवंटित थी उक्त भूमि सदूराम के वारिसान का ब.हि.ब. का हक है। विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है एवं अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरेाते हए कथन किया कि विवादित भूमि की वसीयत प्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी के पक्ष में की है जिसके आधार पर प्रार्थी/रेस्पो. भूमि पर काबिज चला आ रहा है। यदि अपीलार्थी का कोई हक व हिस्सा बनता है तो उसका निर्णय वाद में होगा । ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.05.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आधार पर खारिज करने का अनुतोष चाहा कि वह औरतजात है।

22/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पो. की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा संयुक्त खाते की भूमि का जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तबतक संयुक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि पर सभी सहखातेदारान का कब्जा काश्त presume किया जाता है अतः एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता, प्रकरण हाजा में अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 14 जमाबंदी की छाया प्रति अनुसार अपीलांट रामप्यारी व रेस्पो. हंसराज नामान्तरणकरण संख्या 431 का जो जमाबंदी में अंकन हुआ है के अनुसार सहखातेदार दर्ज हुए है। तद्अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा सहखातेदारों के सम्बन्ध में किये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाईस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर